

उत्तर प्रदेश सरकार
 उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
 तुलसी गंगा काम्पलेक्स, 19-सी, विधानसभा मार्ग
 लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

सूचना/विज्ञप्ति

महिलाओं के लिए पुलिस आरक्षी की सीधी भर्ती-2015

अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा हेतु अतिरिक्त अभ्यर्थियों को बुलाया जाना

संख्या:पीआरपीबी: एक-1(91) / 2015

दिनांक:सितम्बर 10, 2016

1— सूचित किया जाता है कि महिलाओं के लिए पुलिस आरक्षी के 5800 पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा प्रकाशित की गयी सूचना/विज्ञप्ति संख्या: पीआरपीबी-एक-1(83) / 2015 दिनांकित 29-12-2015 की भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड की अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों (10वीं की बोर्ड की परीक्षा के आधार पर अधिकतम 100 अंक एवं 12वीं की बोर्ड की परीक्षा के आधार पर अधिकतम 200 अंक कुल 300 अंक) तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंक अधिकतम 200 अंक अर्थात् कुल 500 अंकों की श्रेष्ठता के आधार पर सूचना/विज्ञप्ति संख्या:पीआरपीबी:एक-1(91) / 2015 दिनांक 08-07-2016 के द्वारा अगले चरण की अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा हेतु विज्ञापित कुल रिक्तियों 5800 के सापेक्ष श्रेणीवार 1.20 गुना कुल 7091 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसमें सभी श्रेणियों की कटआॉफ पर समान अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थी भी सम्मिलित थे, परन्तु वांछित संख्या में सफल अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण श्रेणीवार 1.3 गुना के मानक के आधार पर 586 और अभ्यर्थियों को बुलाये जाने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया गया है, जिसमें सभी श्रेणियों की कटआॉफ पर समान अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थी सम्मिलित हैं।

2— अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा हेतु और बुलाये गये इन अभ्यर्थियों के श्रेणीवार कटआॉफ मार्क्स इस प्रकार है:-

क्र०सं०	लम्बवत श्रेणी	कटआॉफ मार्क्स
1	अनारक्षित	417.36
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	410.10
3	अनुसूचित जाति	394.07
4	अनुसूचित जनजाति	376.97

3— यद्यपि अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा हेतु और बुलाये गये इन अभ्यर्थियों की इस सूची को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गयी है, फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा और न ही कोई त्रुटि पाये जाने पर इस त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी को किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त होगा या अनुमन्य होगा।

